वैज्ञानिक सामाजिक दायित्व (एसएसआर) दिशानिर्देश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नई दिल्ली
मई 2022

वैज्ञानिक सामाजिक दायित्व (एसएसआर) दिशानिर्देश

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नई दिल्ली
मई 2022

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(भारत सरकार)

वैज्ञानिक सामाजिक दायित्व (एसएसआर) दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

भारत ने स्वतंत्रता के बाद से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष में हालिया उपलब्धियां काफी अभूतपूर्व रही हैं। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (एनएसएफ) डेटाबेस के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशक देशों में भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक (जीआईआई) के अनुसार, देश वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 अभिनव अर्थव्यवस्थाओं (46 वें स्थान पर) में शामिल है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी की संख्या और उच्च शिक्षा प्रणाली के प्रसार सहित स्टार्टअप की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसने हाल के वर्षों में अनुसंधान उत्पादन की गुणवत्ता, निवासी पेटेंट संख्या और अनुसंधान और विकास में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या के मामले में काफी प्रगति की है। एसटीआई में अच्छी प्रगति के बावजूद, वैज्ञानिक ज्ञान का हस्तांतरण और समाज को इसके लाभ चिंता का विषय बने हुए हैं। इस प्रकार, मानव और सामाजिक विकास पर अधिक संसाधनों को तैनात करने के अलावा, विज्ञान और समाज के बीच एक मजबूत संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक तरीका वैज्ञानिक ज्ञान के हस्तांतरण के माध्यम से हो सकता है जिसे "वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी (एसएसआर)" पर दिशानिर्देशों के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जा सकता है। ये दिशानिर्देश हमारे वैज्ञानिक समुदाय में सभी हितधारकों के बीच तालमेल बनाने और विज्ञान और समाज के बीच संबंध विकसित करने के बारे में हैं।

2. एसएसआर दिशानिर्देशों की आवश्यकता

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पिछले कई सहस्राब्दियों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। इससे पहले की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियों में लोगों के कल्याण के लिए

विज्ञान के उपयोग पर जोर दिया गया था। हालांकि, अपनी जीवंत युवा आबादी के साथ नया भारत महत्वाकांक्षा और बढ़ती आकांक्षाओं का देश है, जिसके लिए संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर समाज के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर नए सिरे से जोर देने की आवश्यकता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 2017 के 104 वें सत्र ने सामाजिक कल्याण के लिए विज्ञान को शामिल करने के लिए एसएसआर को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके लिए विज्ञान और समाज के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने और हितधारकों के बीच तालमेल बनाने के लिए ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है जिससे समाज के हितार्थ वैज्ञानिक ज्ञान का हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके। इसलिए, एसएसआर दिशानिर्देशों के माध्यम से संस्थागत तंत्र, संसाधनों और ज्ञान तक आसान पहुंच की सुविधा, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

एसएसआर के लिए एक महत्वपूर्ण औचित्य वैज्ञानिक समुदाय का नैतिक दायित्व है कि वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ-साथ समाज के कम संपन्न हितधारकों को विज्ञान से प्राप्त लाभों को "वापस" दें। विज्ञान और समाज के बीच संबंध दो-तरफ़ा संबंध है; एसएसआर न केवल समाज पर वैज्ञानिक प्रभाव के बारे में है, बल्कि विज्ञान पर सामाजिक प्रभाव के बारे में भी है। इसलिए एसएसआर ज्ञान पारितंत्र को मजबूत करेगा और समाज के लिए विज्ञान के लाभ का उपयोग करने में दक्षता लाएगा। यह वैज्ञानिक समुदाय की मानसिकता और कार्य शैली में व्यवहारिक परिवर्तन लाएगा, जिससे हमारे वैज्ञानिक समुदाय की सामाजिक पहुंच में वृद्धि होगी। इस प्रकार, एसएसआर में आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हमारे नागरिकों के जीवन में सुधार करके समाज को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है।

एसएसआर दिशानिर्देश एक संगठित और टिकाऊ तरीके से संस्थानों के मौजूदा प्रयासों को मजबूत करेंगे। एसएसआर समावेशी विकास और सतत विकास को प्राप्त करने की दिशा में आकांक्षी जिलों के परिवर्तन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया जैसी सरकार की नई पहलों पर भी बल देगा।

3. उद्देश्य

एसएसआर दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक आधार पर विज्ञान और समाज संबंधों को

मजबूत करने हेतु देश के वैज्ञानिक समुदाय की अव्यक्त क्षमता का उपयोग करना है, ताकि एस एंड टी पारितंत्र को जीवंत बनाया जा सके। इसमें मुख्य रूप से विज्ञान-समाज, विज्ञान-विज्ञान और समाज-विज्ञान अंतराल को पाटना शामिल है, जिससे सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विज्ञान के विश्वास, साझेदारी और जिम्मेदारी को त्वरित गति से समावेश किया जा सके।

यह विशेषतः निम्नलिखित संकेत देता है:

- **विज्ञान-समाज संबंध**: मौजूदा और उभरती सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक कार्य के लाभों को स्थानांतरित करके समावेशी और सतत विकास की सुविधा प्रदान करना।
- **विज्ञान-विज्ञान संबंध**: ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विचारों और संसाधनों के साझाकरण हेतु सक्षम वातावरण बनाना।
- समाज-विज्ञान संबंध : समुदायों के साथ सहयोग करना उनकी जरूरतों और समस्याओं की पहचान करना और वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान विकसित करना। लैब टू लैंड (एल **2)** के सदियों पुराने दृष्टिकोण को लैंड (अनुभव) से लैब (विशेषज्ञता) से लैंड (अनुप्रयोग) (एल **3)** के नए युग के दृष्टिकोण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक परिवर्तन: विज्ञान का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों में सामाजिक जिम्मेदारी पैदा करना; समाज में एसएसआर संबंधी जागरूकता पैदा करना; और दिन-प्रतिदिन के सामाजिक अस्तित्व और सहक्रिया में वैज्ञानिक प्रवत्ति का समावेश।

एसएसआर का उद्देश्य मौजूदा परिसंपत्तियों के इष्टतम उपयोग के लिए प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है ताकि समाज के कम संपन्न, हाशिए पर गए और शोषित वर्गों को उनकी क्षमता, दक्षता और अव्यक्त क्षमता को बढ़ाकर सशक्त बनाया जा सके।

4. पणधारक

एसएसआर दिशानिर्देशों में हितधारकों की चार अलग-अलग श्रेणियां शामिल होंगी: लाभार्थी, कार्यान्वयनकर्ता, मूल्यांकनकर्ता और समर्थक।

4.1 लाभप्राप्तकर्ता

छात्रों सहित एसएसआर गतिविधि से लाभान्वित होने वाला कोई भी समुदाय, समूह, इकाई या व्यक्ति; स्कूल / कॉलेज के शिक्षक; स्थानीय निकाय; समुदायों; महिलाओं के समूह; कृषक; स्व-सहायता समूह; कार्यरत; अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई); स्टार्ट-अप; गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ); आंगनवाड़ी कार्यकर्ता; जैव विविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी); आदि।

4.2 कार्यान्वयनकर्ता

सार्वजनिक और निजी ज्ञान संस्थान (प्रयोगशालाएं, संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज, एंकर वैज्ञानिक संस्थान) और उनके ज्ञान कार्यकर्ता, विज्ञान केंद्र, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, उनके विभाग और संबंधित स्वायत्त एजेंसियां।

4.3 मूल्यांकनकर्ता

आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ या बाहरी एजेंसी संस्थागत, परियोजना और व्यक्तिगत स्तर पर एसएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं का मूल्यांकन करती है।

4.4 समर्थक

सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के अंश रूप में प्रदान की गई निधियां, निधि प्रदान करने वाले निगमित निकाय (सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार), अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई), पूर्व छात्र संघ, या इस उद्देश्य के लिए धन प्रदान करने वाली कोई अन्य एजेंसी समर्थक हितधारक हैं।

5. व्यापक दिशानिर्देश

एसएसआर दिशानिर्देशों को निम्नलिखित विशिष्ट कार्यनीतियों के माध्यम से लागू किया जाना है:

5.1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और राज्य सरकारें अपने संबंधित अधिदेशानुसार अपने एसएसआर की योजना और कार्यनीति बनाएंगी।

5.2. प्रत्येक ज्ञान संस्थान अपने एसएसआर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए "एंकर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन (एएसआई)" नामक चिह्नित ज्ञान आधारित संस्थान के परामर्श से अपनी कार्यान्वयन योजना तैयार करेगा और अपनी एसएसआर आचार संहिता तैयार करेगा जो पारदर्शिता, विविधता और समावेशिता सुनिश्चित करता है।

5.3. सभी ज्ञान कार्यकर्ताओं को उनके संस्थानों के साथ-साथ एंकर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन द्वारा समाज की बेहतरी और राष्ट्रीय विकास और पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में योगदान देने के उनके नैतिक दायित्व के बारे में संवेदनशील बनाया जाएगा।

5.4. प्रत्येक ज्ञान कार्यकर्ता यह अपेक्षित है कि वह प्रशासन में या सीधे एसएसआर कार्यान्वयन प्रबंधन में शामिल लोगों को छोड़कर अपने नेमी/ नियमित कार्य के अलावा एसएसआर हेतु एक वर्ष में कम से कम दस व्यक्ति-दिन का योगदान दें। हालांकि ज्ञान कार्यकर्ता को एसएसआर गतिविधि चुनने का विकल्प दिया जाएगा, तथापि यह आवश्यक रूप से एस एंड टी पारिस्थितिकी तंत्र को जीवंत और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने से संबंधित होना चाहिए।

5.5. संस्थागत परियोजनाओं और व्यक्तिगत गतिविधियों का समय-समय पर आकलन करने के लिए एंकर वैज्ञानिक संस्थान सहित प्रत्येक संस्थान में एक एसएसआर मूल्यांकन प्रकोष्ठ होना चाहिए। प्रत्येक ज्ञान संस्थान एक वार्षिक एसएसआर रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

5.6. इनपुट, प्रसंस्करण, आउटपुट/परिणामों से संबंधित एसएसआर गतिविधियों के आवधिक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त संकेतक, संस्थागत स्तर पर विकसित किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, संस्थान अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इनपुट के मिलान के लिए अपने संगठन में व्यक्तिगत ज्ञान कार्यकर्ताओं की एसएसआर गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। एसएसआर गतिविधियों के प्रभाव को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक समय सीमा के संदर्भ में मापा जाना चाहिए।

5.7. व्यक्तिगत और संस्थागत एसएसआर गतिविधियों, जिसमें आवश्यक बजटीय सहायता भी शामिल हैं, को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5.8. व्यक्तिगत एसएसआर गतिविधियों को ज्ञान कार्यकर्ता के प्रदर्शन मूल्यांकन में उचित महत्व दिया जाना चाहिए, जैसे कि प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) जिसका उपयोग

विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के आउटपुट का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।

5.9. एसएसआर गतिविधियों और ज्ञान संस्थान की परियोजनाओं को आउटसोर्स या उप-अनुबंधित नहीं किया जाएगा।

6. गतिविधियां

हितधारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा की जाने वाली एसएसआर गतिविधियों की एक उदाहरण सूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

6.1. मॉड्यूलर या पूर्ण पाठ्यक्रमों अथवा एक विषय स्कूलों और कॉलेजों में वैज्ञानिकों द्वारा व्याख्यान या छात्रों को विज्ञान का अध्ययन करने और विज्ञान में कैरियर अपनाने के लिए प्रेरित करना।

6.2. सुमेलन और प्रशिक्षण: सलाह; प्रशिक्षुतावृत्ति; स्कूलों में अथवा जनता (संग्रहालयों, पुस्तकालयों) के लिए प्रदर्शन स्थापित करना, उनकी नवोन्मेष परियोजनाओं में स्कूली छात्रों की सलाह देना; तारामंडल, प्रयोगशालाओं, विज्ञान केंद्रों और उद्योगों के दौरे का आयोजन।

6.3. स्कूलों में या जनता (संग्रहालयों, पुस्तकालयों) हेतु इंटरैक्टिव प्रदर्शन स्थापित करना और व्यवस्थित रखना।

6.4. प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से कौशल विकास।

6.5. बुनियादी ढांचे और ज्ञान संसाधनों का साझाकरण: उपकरण; उपस्कर; डेटाबेस; अनुसंधान सुविधा, गैर-मालिकाना सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्लेटफॉर्म; अनुसंधान लेखों के पूर्व-प्रिंट तक मुक्त अभिगम ।

6.6. समाधान और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन: स्थानीय समस्या (पर्यावरण, पारिस्थितिक, स्वास्थ्य, स्वच्छता और समरूप) हेतु तकनीकी अथवा वैज्ञानिक समाधान; आय संवर्धन हेतु डिजिटल समाधान।

6.7. नवोन्मेषकों के साथ कार्यकरण: ग्रामीण और स्थानीय नवोन्मेषकों हेतु तकनीकी सहायता; विशिष्ट समस्याओं को हल करना।

6.8. सरल स्थानीय भाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी, लेख और साक्षात्कार जैसे सोशल मीडिया संचार के माध्यम से प्रसारित होती है।

6.9. सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक कौशल और अनुसंधान सुविधाओं संबंधी प्रशिक्षण।

6.10. महत्वपूर्ण अनुसंधान समस्या और/अथवा अनुसंधान कार्य की खोज को समाचार पत्रों/पत्रिकाओं और सोशल मीडिया सहित अन्य प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु लोकप्रिय विज्ञान लेखों/कहानियों में परिवर्तित करना। इस गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थानिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं।

6.11. पेशेवर शोध पत्र और पीएचडी थीसिस लेखन में क्षमता निर्माण।

6.12. वैज्ञानिक जागरूकता उत्पन्न करने और समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने के लिए लोकप्रिय विषय (टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सोशल मीडिया, आदि द्वारा) पर सरल भाषा में वैज्ञानिक वार्ताएं सम्पन्न करना।

6.13. सामाजिक चुनौतियों के लिए एस एंड टी के उपयोग में गैर सरकारी संगठनों की सहायता करना।

6.14. आजीविका सृजन की दिशा में उपयुक्त गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से जागरूकता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एस एंड टी के उपयोग द्वारा महिलाओं और समाज के कमजोर तबकों का **सशक्तिकरण।**

6.15. समाज में विज्ञान संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने हेतु दृश्य और प्रदर्शन कला रूपों की विविधता का उपयोग करना।

6.16. राष्ट्रीय विज्ञान सेवा के विचार, जहां गेमिंग और आभासी प्रोत्साहन का उपयोग युवा वैज्ञानिकों में एसएसआर दर्शन को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, का उपयोग करना ।

6.17. कोई अन्य गतिविधि जो विज्ञान लाभों को समाज में अंतरित करेगी।

7. कार्यान्वयन कार्यनीति

यदि एक जीवंत विज्ञान-समाज संबंध स्थापित किया जाना है, तो सूचना विषमताओं और एक-दिशात्मकता को कम करना होगा। एसएसआर को लागू करने की दिशा में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में, देश के हर जिले में एंकर वैज्ञानिक संस्थान (एएसआई) को सुपरिभाषित संग्रहण क्षेत्र के रूप में पहचाना जाए। एएसआई बदले में अपने संबंधित संग्रहण क्षेत्रों में कार्यरत कार्यान्वयनकर्ताओं (शैक्षिक, वैज्ञानिक संस्थानों के साथ-साथ अन्य ज्ञान/संसाधन संस्थानों) सहित संबंध स्थापित करने के अलावा तत्काल वैज्ञानिक समाधान की आवश्यकता वाले सामाजिक मुद्दों/समस्याओं के प्रतिचित्रण के लिए उत्तरदायी होंगे।

राज्य स्तर पर, सभी जिला एएसआई को उनके संबंधित राज्य एस एंड टी परिषद (एसएस एंड टीसी) या अन्य नियत राज्य निकाय या वैज्ञानिक संस्थान से जोड़ा जाएगा। देश में एसएसआर दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में एएसआई और एसएस एंड टीसी को डीएसटी में कार्यक्रम निगरानी इकाई (पीएमयू) के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा जाएगा। पीएमयू को डीएसटी द्वारा गठित राष्ट्रीय शीर्ष समिति (एनएसी) द्वारा निदेशित किया जाएगा, जिसमें विज्ञान और समाज के विभिन्न हितधारक इसके सदस्य होंगे। पीएमयू प्रासंगिक पाठ्यक्रम सामग्री, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यशालाओं को विकसित करने, परस्पर संयोजन की योजना को मजबूत बनाने, स्टार्ट-अप को पोषित करने आदि के लिए जिम्मेदार होगा। एनएसी की सलाह पर पीएमयू, एसएसआर लक्ष्यों के कार्यान्वयन और उपलब्धि हेतु आवश्यकता होने पर उप-समितियों का गठन करेगा। यह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयनकर्ताओं द्वारा किए गए एसएसआर गतिविधियों के मूल्यांकन, उन मामलों में जहां प्रस्तावित परिणामों में या तो कमी है या प्राप्त करना मुश्किल प्रतीत होता है और देश के सामाजिक-आर्थिक और वैज्ञानिक वातावरण में गतिशील परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए नियमित अंतराल पर एसएसआर पर दिशानिर्देशों में उपयुक्त परिवर्तनों का सुझाव देने हेतु भी उत्तरदायी होगा।

जिला स्तर पर एएसआई, राज्य स्तर पर एसएस और टीसी को उनके संबंधित कार्यान्वयनकर्ताओं (ज्ञान/संसाधन संस्थानों) के साथ जोड़ने वाला राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल विकसित किया जाएगा ताकि पीएमयू, डीएसटी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क और संचार को सुविधाजनक बनाया जा सके। इस प्रकार राष्ट्रीय पोर्टल समाज सहित विभिन्न हितधारकों को जोड़ने और देश में एसएसआर गतिविधियों और परिणामों की रिपोर्टिंग के लिए मंच के रूप में भी काम करेगा।

8. संसाधन

आंतरिक बजटीय सहायता और संस्थानों के संसाधनों के माध्यम से एसएसआर गतिविधियों और परियोजनाओं को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी। एक्स्ट्राम्यूरल परियोजना अनुदान के मामले में, एसएसआर गतिविधियों को या तो निम्नलिखित के माध्यम से समर्थित किया जा सकता है: (क) परियोजनाओं के लिए आर एंड डी समर्थन के हिस्से के रूप में अतिरिक्त संसाधनों का आवंटन अथवा (ख) प्रचलित एसईआरबी एसएसआर मॉडल के समान निर्मित परियोजना लागत के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में। इसके अलावा, एसएसआर गतिविधियों के लिए संसाधन कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) निधियों (सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार) और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ), ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई), पूर्व छात्र संघों, परोपकारी संगठनों आदि से भी जुटाए जा सकते हैं।

9. लाभ

एसएसआर में सामाजिक समस्याओं, विशेषकर समाज के हाशिए पर गए वर्गों हेतु, वैज्ञानिक और अभिनव समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता है, जिससे देश बदल जाता है। एसएसआर के कुछ परिकल्पित लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:

9.1. समुदाय हेतु विज्ञान और इसके लाभों क्षेत्र का प्रसार करना। छात्रों को उनकी रुचि को बढ़ावा देने और पोषण माध्यम से विज्ञान में प्रोत्साहित करना।

9.2. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अन्य शोधकर्ताओं के साथ प्रयोगशालाओं में एस एंड टी संसाधनों के सहयोग और साझा करने का अवसर उत्पन्न करना।

9.3. कौशल विकास और वैज्ञानिक ज्ञान के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

9.4. एमएसएमई, स्टार्ट-अप और अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों को उनकी समग्र उत्पादकता बढ़ाने में मदद करना।

9.5. ग्रामीण नवाचार में वैज्ञानिक हस्तक्षेप की सुविधा।

9.6. वैज्ञानिक हस्तक्षेप के माध्यम से महिलाओं, वंचितों और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त

बनाना।

9.7. देश के जल, पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे प्रौद्योगिकी विजन 2035 विशेषाधिकारों और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में कार्यों को सुविधाजनक बनाना।

10. संदृश्य

एसएसआर दिशानिर्देश वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना करते हैं जिसमें हितधारकों के बीच व्यवस्थित रूप से विकसित अंतर्संबंध होते हैं ताकि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में विज्ञान और समाज के बीच दो-तरफा संपर्क स्थापित किया जा सके।

परिभाषाएँ

1. वैज्ञानिक सामाजिक दायित्व (**oSKkfud lkekftd mŸkjnkf;Ro**)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में ज्ञान कार्यकर्ताओं का नैतिक दायित्व है कि वे स्वेच्छा से सेवा और जागरूक पारस्परिकता की भावना से समाज में हितधारकों के व्यापक प्रसार में अपने ज्ञान और संसाधनों का योगदान दें।

वैज्ञानिक (oSKkfud)

सभी ज्ञान कार्यकर्ता और संस्थान, चाहे सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों में हों, जो वैज्ञानिक ज्ञान और संबंधित कौशल के निर्माण, उपयोग अथवा/ और प्रसार में सक्रिय रूप से कार्यरत या नियोजित हैं।

सामाजिक (lkekftd)

देश की समग्र शैक्षिक, विकासात्मक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं सहित भारतीय ग्रामीण और शहरी आबादी और समुदायों की विशिष्ट स्थानीय समस्याएं।

दायित्व (mŸkjnkf;Ro)

एक कानूनी आवश्यकता के स्थान पर नैतिक दायित्व, इस प्रकार जवाबदेही से अलग। संपरीक्षा योग्य स्वैच्छिकता पर बल दिया जाएगा।

2. Knowledge worker (KkudehZ)

कोई भी जो मानव, सामाजिक, प्राकृतिक, भौतिक, जैविक, चिकित्सा, गणितीय और कंप्यूटर / डेटा विज्ञान और उनके संबंधित तकनीकी प्रक्षेत्रों[1] में ज्ञान अर्थव्यवस्था में भाग लेता है।

[1] स्पष्टीकरण: (1) एसएसआर को छात्रों, शोध विद्वानों और उन लोगों के लिए एक अनिवार्य शैक्षणिक आवश्यकता के रूप में परिकल्पित नहीं किया गया है जो सीधे एसएसआर कार्यान्वयन के प्रबंधन में शामिल हैं। हालांकि, छात्रों की सरलता और उत्साह का उपयोग ज्ञान संस्थानों और उनके सलाहकारों, वैज्ञानिकों और सलाहकारों द्वारा संस्थागत एसएसआर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए काफी हद तक किया जा सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रवृत्ति संवर्धन हेतु स्कूल पाठ्यक्रम में कुछ एसएसआर गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। (2) निजी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों में ज्ञान कार्यकर्ता व्यक्तिगत एसएसआर गतिविधि के लिए

उत्तरदायी होंगे, ठीक उसी तरह जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में उनके समकक्ष हैं। (3) कंपनियों और अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं में ज्ञान कार्यकर्ता, चाहे सार्वजनिक या निजी, एसएसआर के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, हालांकि वे स्वेच्छा से ऐसा करने का विकल्प चुन सकते हैं।

3. ज्ञान संस्थान (KkuihB)

एंकर वैज्ञानिक संस्थान, राष्ट्रीय और राज्य प्रयोगशालाएं और उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज) एसएसआर के प्रचार और कार्यान्वयन में जिम्मेदार हैं।

4. ज्ञान अर्थव्यवस्था (Kku vFkZO;oLFkk)

एक अर्थव्यवस्था जिसमें विकास मुख्य रूप से उत्पादन के पारंपरिक साधनों (भूमि, पूंजी, श्रम और संसाधनों) के बजाय उपयोगी जानकारी और उस पर आधारित प्रौद्योगिकियों की मात्रा, गुणवत्ता और अभिगम पर निर्भर करता है।

5. Scientific ecosystem (oSKkfud ikfjra=)

भौतिक और/अथवा साइबर सानिध्य में व्यक्तियों, संस्थानों, संबद्ध नीतियों और तंत्रों से संपर्क स्थापित करने का ज्ञान समुदाय, जो ज्ञान बनाने, प्रसारित करने और उपयोगार्थ संसाधनों को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

6. Scientific temperament (oSKkfud LoHkko)

मानव और सामाजिक अस्तित्व हेतु दृष्टिकोण जो सिद्धांत अथवा दावे को परित्याग करता है जो अनुभवजन्य साक्ष्य का खंडन करता है या वैज्ञानिक आधारका अभाव, जो आदतन सभी पर सवाल उठाता है, जो तर्क और तर्कसंगतता को विशेषाधिकार देता है, और नियमित आत्म-आलोचनात्मक है।

7. सामाजिक उद्यमिता (lkekftd m|ferk)

सामाजिक रूप से सक्रिय अभिनव व्यावसायिक उद्यम शुरू करना, बनाए रखना और संचालित करना है।

[2] स्पष्टीकरण: सार्वजनिक और निजी कंपनियों को शामिल नहीं करता है, हालांकि उन्हें अपनी स्वैच्छिक एसएसआर गतिविधियों, , यदि कोई हो, का विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। हालांकि, एमएसएमई, स्टार्ट-अप और अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों को वार्षिक एसएसआर रिपोर्टिंग से छूट दी जाएगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टेक्नॉलजी भवन, नया महरौली रोड
नई दिल्ली-110016, भारत

Printed at: Western Printing Group, Survey of India